[2018] 1 एस.सी.आर. 636

सूबे सिंह और अन्य

बनाम

श्याम सिंह (मृत) और अन्य

सिविल अपील नं. 7176/2015

फरवरी 09, 2018

दीपक मिश्रा, सीजेआई, ए.एम. खानविलकर और डॉ. डी.वाई. चंद्रचूड़, जेजे।

मोटर वाहन अधिनियम, 1988: धारा 166-गुणक-घातक दुर्घटना-पीड़ित 23 वर्ष की आयु-उच्च न्यायालय ने मृतक के माता-पिता की आयु के संदर्भ में मुआवजा राशि का निर्धारण करने के लिए 14 का गुणक लागू किया-मृतक के माता-पिता 18 के गुणक की मांग कर रहे हैं-अवधारित किया गया कि सरला वर्मा मामले में, यह आयोजित किया गया था कि गुणक को मृतक की आयु के संदर्भ में तालिका से चुना जाना चाहिए न कि आश्रितों की आयु के संदर्भ में-उक्त निर्णय के मद्देनजर, 18 का गुणक लागू कर अपीलकर्ताओं-माता-पिता को मुआवजा देना। अपील की अनुमति देते हुए, कोर्ट ने अभिनिर्धारित किया कि उत्तरदाताओं को उच्च न्यायालय द्वारा लागू 14 के बजाय 18 गुणक लागू करके मुआवजे का भुगतान करने के लिए निर्देशित किया जाता है। मृतक के परिवार को रु. 37,800/- पर निर्धारित वार्षिक योगदान की राशि को ध्यान में रखते हुए और गुणक 18 को लागू करते हुए, मुआवजा उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित रु. 6,80,400/- तक काम करेगा। [पैरा 5] [639-एफ-जी] सरला वर्मा (श्रीमती) और अन्य बनाम दिल्ली परिवहन निगम और अन्य (2009) 6 एस.सी.सी. 121: [2009] 5 एससीआर 1098; मुन्ना लाल जैन और अन्य बनाम विपिन कुमार शर्मा और अन्य (2015) 6 एससीसी 347: [2015] 7 एससीआर 207-पर निर्भर। अश्विनभाई जयंतीलाल मोदी बनाम रामकरन रामचंद्र शर्मा और अन्य (2015) 2 एससीसी 180-संदर्भित। केस लॉ रेफरेंस (2015) 2 एससीसी 180 ने पैराल [2009] 5 एससीआर 1098 को पैरा 3 [2015] 7 एससीआर 207 पर पैरा 636 पर भरोसा किया एफएओ में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 02.12.2014 से नं. 2012 का 330 (ओ एंड एम).

राकेश कुमार यादव (डॉ. कैलाश चंद के लिए), सलाहकार। अपीलकर्ताओं के लिए।

चंदर शेखर अशरी, सलाहकार। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय **ए.एम. खानविलकर, जे.**, द्वारा दिया गया,

1. इस अपील में उत्तर दिया जाने वाला एकमात्र प्रश्न यह हैः क्या उच्च न्यायालय ने इस न्यायालय के अश्विनभाई जयंतीलाल मोदी बनाम रामकरन रामचंद्र शर्मा और अन्य में पारित निर्णय पर भरोसा करते हुए मृतक के माता-पिता की आयु के संदर्भ में मोटर दुर्घटना के दावे के मामले में मुआवजे की राशि का निर्धारण करने के लिए गुणक 14 को लागू करने में सही था?।

2. संक्षेप में कहा गया है, 22.09.2009 को हुई एक मोटर दुर्घटना में, अजीत सिंह, जो प्रासंगिक समय पर 23 वर्ष की आयु में थे, की मृत्यु हो गई। उनके माता-पिता, जो 40 से 45 वर्ष की आयु के थे, ने मुआवजे का दावा करते हुए याचिका दायर की। मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने माना कि मृतक की स्थापित आय लगभग रु. 4,200/- प्रति माह थी और 50% की कटौती के बाद मृतक अविवाहित था, जिसकी गणना रु. 2,100/- प्रति माह थी। इसके बाद, मृतक के माता पिता की आयु को ध्यान में रखते हुए को लेते हुए गुणक 15 लागू किया। इसे अपीलकर्ताओं द्वारा चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय के समक्ष अपील के माध्यम से चुनौती दी गई थी, जो 2012 के एफएओ नंबर. 30 (ओ एंड एम) था, जिसे आंशिक रूप से मुआवजे के अन्य प्रमुखों के संबंध में अनुमति दी गई थी। जैसा कि भविष्य की आय के नुकसान के निर्धारण के लिए लागू गुणक के संबंध में, उच्च न्यायालय ने कहा कि गुणक 14 लागू होगा। उसके लिए, उच्च न्यायालय ने अश्विन भाई जयंतीलाल मोदी के मामले में इस न्यायालय (दो न्यायाधीश पीठ) के निर्णय पर भरोसा किया। इसके परिणामस्वरूप, अपीलकर्ताओं ने वर्तमान अपील दायर की है, ताकि उच्च न्यायालय द्वारा निष्कर्ष की शुद्धता पर सवाल उठाया जा सके।

3. अपीलकर्ताओं के अनुसार, वर्तमान मामले के तथ्यों में लागू किया जाने वाला सही गुणक 18 है, क्योंकि दुर्घटना की तारीख में मृतक की उम्र केवल 23 वर्ष थी। उक्त तर्क का समर्थन 2015

(2) एससीसी 180 सरला वर्मा (श्रीमती) और अन्य बनाम दिल्ली परिवहन निगम और अन्य पर आधारित है। मुन्ना लाल जैन और अन्य बनाम विपिन कुमार शर्मा और अन्य के मामले में इस कोर्ट (तीन जजों की बेंच) के अधतन फैसले पर भी आधारित रखा गया है। जिसने कानूनी स्थिति को बहाल कर दिया है कि गुणक मृतक की उम्र पर निर्भर होना चाहिए न कि आश्रितों की उम्र पर।

4. ट्रिब्यूनल द्वारा दर्ज की गई और उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई मृत के आधार पर, यह स्पष्ट है कि दुर्घटना की तारीख- 22.09.2009 को मृतक 23 साल का था। वह अविवाहित था और उसके माता-पिता जिन्होंने मुआवजे के लिए याचिका दायर की थी, वे 40 से 45 वर्ष की आयु के थे। उच्च न्यायालय ने अश्विनभाई जयंतीलाल मोदी (सुप्रा) के मामले में निर्णय पर भरोसा करते हुए कहा कि वर्तमान मामले में गुणक 14 लागू होगा, मृतक के माता-पिता की उम्र को ध्यान में रखते हुए। इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की खंडपीठ द्वारा तय किए गए मुन्ना लाल जैन (सुप्रा) के मामले में, यह माना जाता है कि गुणक मृतक की उम्र पर निर्भर होना चाहिए न कि आश्रितों की उम्र पर। हम उपयोगी रूप से रिपोर्ट किए गए निर्णय के 11 और 12, को इस प्रकार पढ़ते हैंः

“11। शेष प्रश्न केवल गुणक पर है। संतोष देवी (सुप्रा) के निर्णय के आधार पर उच्च न्यायालय ने गुणक के रूप में 13 लिया है। क्या गुणक आश्रितों की उम्र पर निर्भर होना चाहिए या मृतक की, कुछ समय के लिए लटका हुआ है; लेकिन रेशमा कुमार (सुप्रा) में एक और तीन न्यायाधीशों की बेंच के फैसले से इसे शांत कर दिया गया है। यह आयोजित किया गया था कि गुणक का उपयोग मृतक की आयु के संदर्भ में किया जाना है। एक कारण यह प्रतीत होता है कि मृतक की आयु के साथ निश्चितता है। मृतक की उम्र के अनुसार, लेकिन जहां तक आश्रितों का सवाल है, हमेशा विवाद के लिए जगह होगी कि क्या सबसे बड़े या सबसे छोटे या यहां तक कि औसत आदि की उम्र। लिया जाना है। उद्धृत करने के लिए-

“36. सरला वर्मा के मामले में इस न्यायालय ने सरल बनाने का प्रयास किया है अन्यथा नुकसान के आकलन की जटिल कवायद धारा 166 के तहत किए गए दावे में मुआवजे की निर्भरता और निर्धारण में होती। यह सरला वर्मा के मामले में सही कहा गया है की मृत्यु के

मामले में दावेदारों के लिए दावे में मुआवजे के उद्देश्यों को स्थापित करना चाहिए मृतक की आयु (ख) और (ग) आश्रितों की संख्या। निर्भरता के नुकसान पर पहुंचने के लिए, ट्रिब्यूनल को आय पर पहुंचने के लिए (1) परिवर्धन/कटौती पर विचार करना चाहिए; (2) मृतक के व्यक्तिगत जीवन व्यय के लिए की जाने वाली कटौती; और (3) मृतक की उम्र के संदर्भ में लागू किया जाने वाला गुणक। हमें नहीं लगता कि हमारे लिए इस बिंदु पर कानून को फिर से लागू करना आवश्यक है क्योंकि हम सरला वर्मा के विचार से पूरी तरह सहमत हैं।

12. सरला वर्मा (सुप्रा) में, पैरा-19 में दो-न्यायाधीश की बेंच ने चरण 2 में इस पहलू से निपटा। उद्धृत करने के लिएः

“चरण 2 (गुणक का पता लगाना)

मृतक की आयु और सक्रिय कैरियर की अवधि के संबंध में, उपयुक्त गुणक का चयन किया जाना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि जीवन और आर्थिक कारकों में कई अभेद्यताओं के संबंध में दुर्घटना के लिए वह कितने वर्षों तक जीवित रहा या काम किया होगा, इस न्यायालय द्वारा आयु के संदर्भ में गुणकों की एक तालिका की पहचान की गई है। गुणक को मृतक की आयु के संदर्भ में उक्त तालिका से चुना जाना चाहिए।

सरला वर्मा (सुप्रा) में उल्लिखित सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, जिसे राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी एवं अन्य में इस न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा पुष्टि की गई है। गुणक 18 को लागू करने के लिए आग्रह करने में अपीलकर्ता उचित हैं।

5. एक प्राथमिकता, हम उत्तरदाताओं को उच्च न्यायालय द्वारा लागू 14 के बजाय 18 गुणक लागू करके मुआवजे का भुगतान करने का निर्देश देते हैं। दूसरे शब्दों में, मृतक के परिवार को रु. 7,800/- पर निर्धारित वार्षिक योगदान की राशि को देखते हुए और गुणक 18 को लागू करते हुए, मुआवजा रु. 6,80,400/- तक काम करेगा (केवल छह लाख अस्सी हजार चार सौ रुपये), रुपये के बजाय। 5,29,200/- उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित। उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित अन्य प्रमुखों के तहत मुआवजे की राशि लागू किए गए फैसले के पैराग्राफ 5 में वर्णित यथावत रहेगी।

हालांकि, ब्याज की दर ट्रिब्यूनल और उच्च न्यायालय द्वारा दी गई 6% प्रति वर्ष के बजाय 9% (नौ प्रतिशत) प्रति वर्ष संशोधित है। उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश पूर्वोक्त सीमा तक संशोधित है।

6. तदनुसार, अपील को उपरोक्त शर्तों में लागत के रूप में बिना किसी आदेश के अनुमति दी गई है।

अपील स्वीकृत की गई।

देविका गुजराल

Jai Shankar Mishra